



2026:AHC:44687

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2026 की 1314

राम चंद्र

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: जलज सिंह, रजनीश कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. इस न्यायालय ने 02.02.2026 को इस याचिका पर विचार किया था और विद्वान स्थायी अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद मामले को आज के लिए नियत किया गया था। विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्देश प्रस्तुत कर दिए हैं और कहा है कि वे निर्देशों से पूरी तरह लैस हैं और ये निर्देश रिट याचिका के निस्तारण के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने कोई अतिरिक्त हलफनामा दाखिल न करने का प्रस्ताव दिया और कहा कि याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः, पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय नए चरण पर ही किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे वर्ष 2000 में दैनिक वेतन भोगी के रूप में बेलदार के पद पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद 14.10.2009 से उसकी सेवा नियमित कर दी गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, 29.10.2009 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली ने एक आयु प्रमाण पत्र जारी किया था, जिसमें इस बात का उल्लेख था कि 29.10.2009

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को याचिकाकर्ता की आयु 35 वर्ष थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसकी जन्मतिथि 29.10.1974 दिखाते हुए एक पहचान पत्र और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। हालांकि, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 28.02.1966 मानते हुए 15.11.2025 को एक नोटिस जारी किया, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को 28.02.2026 को सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया।

4. याचिकाकर्ता ने अधिवर्षता की आयु से पहले सेवानिवृत्त करने के उक्त नोटिस (दिनांक 15.11.2025) को चुनौती देने और सर्विस बुक में जन्मतिथि को 28.02.1966 से सुधारकर 29.10.1974 करने के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की है।
5. आदेश पारित होने के बाद, आज अधिशासी अभियंता, प्रांतीय लोक निर्माण विभाग, बरेली के हस्ताक्षर के तहत निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया गया है और 'परिशिष्ट-ए' (Appendix A) के रूप में अंकित किया गया है।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि हालांकि याचिकाकर्ता को वर्ष 2000 में दैनिक वेतन भोगी बेलदार के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 15.10.2009 को उसे नियमित किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने 29.10.2009 को आयु निर्धारण करवाया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली ने अपने प्रमाण पत्र में राय दी थी कि उसकी आयु 35 वर्ष थी, जिसे पहचान पत्र आदि में भी स्वीकार किया गया था। याचिकाकर्ता के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि 15.11.2025 को उसे 28.02.1966 की जन्मतिथि के आधार पर सेवानिवृत्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि सुधारने के लिए याचिका में विशिष्ट प्रार्थना की गई है।
7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सेवा पुस्तिका के निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 28.02.1966 है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 05.01.2026 को पहली बार अधिशासी अभियंता, बरेली को पत्राचार किया और 2009 के चिकित्सा प्रमाण पत्र का हवाला दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 'कर्मचारी डैशबोर्ड' पर भी जन्मतिथि 28.02.1966 दिखाई दे रही है और करियर के अंतिम पड़ाव पर याचिकाकर्ता जन्मतिथि में सुधार पाने का हकदार नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।
9. स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता एक बेलदार था जो वर्ष 2000 में दैनिक वेतन भोगी के रूप में विभाग में शामिल हुआ और 15.10.2009 को उसकी सेवा नियमित हुई।
10. महत्वपूर्ण बात यह है कि आज दाखिल निर्देशों के पृष्ठ 4, 5 और 6 से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने पहली बार 05.01.2026 को प्रतिवादियों को 29.10.1974 की जन्मतिथि के बारे में सूचित किया। निर्देशों का पृष्ठ 5 यह भी दर्शाता है कि 15.10.2009 को नियमित होने के दौरान, याचिकाकर्ता ने एक आवेदन दिया था जिसमें उसने उल्लेख किया था कि वह आयु निर्धारण प्रमाण पत्र 'बाद में' प्रस्तुत करेगा। याचिका में की गई दूसरी प्रार्थना स्वयं दर्शाती है कि याचिकाकर्ता सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि का सुधार चाहता है।
11. इसका अर्थ यह है कि याचिकाकर्ता इस तथ्य को स्वीकार करता है कि सेवा रिकॉर्ड में कोई अन्य तिथि (28.02.1966) दर्ज है। एक बार जब याचिकाकर्ता जन्मतिथि में सुधार चाहता है, तो प्रश्न यह उठता है कि ऐसा सुधार किस स्तर पर किया जा सकता है।
12. साक्ष्यों के अनुसार, सेवानिवृत्ति के अंतिम समय पर सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि का सुधार नहीं किया जा सकता है। **हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम एस. एम. जाधव एवं अन्य (2001) 4 SCC 52** के मामले में भी इसी मुद्दे पर निर्णय दिया गया है।
13. चूंकि याचिकाकर्ता ने 15.11.2025 को सेवानिवृत्ति का नोटिस जारी होने के बाद 05.01.2026 को कानूनी प्रक्रिया शुरू की है, इसलिए यह न्यायालय वर्तमान मामले को हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त नहीं पाता है।
14. तदनुसार, यह रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

26 फरवरी, 2026

आशु

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।